126

संख्याः– 155 /XXVII (1)/2012

प्रेषक,

आर.सी. अग्रवाल,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
(संलग्न विवरणानुसार)
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 16 मार्च,2012

विषयः– **13वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 की द्वितीय किश्त हेतु जिला पंचायतों को धनराशि का संकमण।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में द्वितीय किश्त हेतु कुल धनराशि ₹70380000.00 **(₹ सात करोड़ तीन लाख अस्सी हजार मात्र)** को संलग्नक के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नही की जा सकेगी।

3– 13वॉ वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई है कि संक्रमित धनराशि से निम्न कार्य कराये जा सकते हैंः–

(1) पथ प्रकाश (2) पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण (3) स्वच्छता (4) पेयजल (5) परिसम्पत्तियों का निर्माण (6) स्वजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका अनुरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के निर्माण आदि कार्य किये जाने चाहिए।

4– जिला पंचातयों को संक्रमित की गई धनराशि कोषागार से आहरण करने हेतु बिल जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।

5– अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अपर मुख्य अधिकारी अध्यक्ष जिला पंचायत के प्रतिहस्ताक्षर कराकर दिनांक 15 मई, 2012 तक उपलब्ध करायेंगे। समय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने पर भारत सरकार द्वारा अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। **यदि उपयोगिता प्रमाण–पत्र के विलम्ब के कारण कोई धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये अपर मुख्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।**

6– संक्रमित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

7– संक्रमित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

8– संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/ मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

9– संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थायें–196–जिला पंचायतें/परिषदें–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0103–13वॉ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा एवं संलग्न प्रपत्र बी.एम. 15 के कालम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या 1556/ XXVII (1)/2012, तद्दिनांकः–

1. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी 23 लक्ष्मी रोड़ उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निदेशक,पंचायतीराज, उत्तराखण्ड–देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक भारत सरकार, वित्त नंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग,ब्लाक 11, पंचम तल सी0जी0ओ0 कोम्पलेक्स नई दिल्ली।
8. समस्त मुख्य कोषाधिकारी /वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड ।
10. वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
11. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

प्रपत्र बी0एम0–15 पुनर्विनियोग विवरण पत्र
(जैसा कि उल्लेख प्रस्तर–178 में है)

(जिला पंचायत)

नियंत्रक अधिकारी–प्रमुख सचिव, वित्त | प्रशासनिक विभाग– वित्त विभाग | अनुदान संख्याः– 07

(धनराशि हजार में)

बजट प्राविधान एवं लेखाशीर्षक जिससे धनराशि पुनर्विनियोग की जा रही है।	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानांतरित किया जानी है तथा धनराशि	पुनर्वियोग के उपरान्त स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्वियोग के उपरान्त स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
3604– स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02 पंचायती राज संस्थाएं–196– जिला पंचायतें/परिषदें–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं–0104–13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत निष्पादन अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–43580	0	42280	1300	3604– स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02 पंचायती राज संस्थाएं–196– जिला पंचायतें/परिषदें–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं–0103–13वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–1300	193000	42280	13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान वर्ष 2010–11 की द्वितीय किश्त की धनराशि वित्तीय वर्ष 2011–12 में अवमुक्त किये जाने के फलस्वरूप बजट प्राविधान में कमी होने के कारण।
43580	0	42280	1300	1300	193000	42280	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर–150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंधन नहीं होता है।

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–1
संख्याः–155-ए/XXXVII(1)/2012
देहरादूनः दिनांकः 16मार्च,2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3–समस्त अपर मुख्य अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4–समस्त जिला मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– गार्ड फाईल।
6- निदेशक कोषागार उत्तराखण्ड।

(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त

संख्याः– 155 /XXVII (1)/2012 दिनांकः 16 मार्च,2012 का संलग्नक।

13वॉ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु जिला पंचायतों को द्वितीय किश्त हेतु देय धनराशि का संक्रमण।

(धनराशि हजार ₹ में)

क्र0सं0	जिला पंचायत	वर्ष 2011–12 हेतु देय द्वितीय किश्त
1	2	3
1	अल्मोड़ा	6015
2	बागेश्वर	2131
3	चमोली	5011
4	चम्पावत	1813
5	देहरादून	5769
6	हरिद्वार	7911
7	नैनीताल	4005
8	पौड़ी गढ़वाल	14658
9	पिथौरागढ़	5166
10	रुद्रप्रयाग	2214
11	टिहरी गढ़वाल	5871
12	उत्तरकाशी	3868
13	ऊधमसिंह नगर	5948
	योगः–	**70380**

(₹सात करोड़ तीन लाख अस्सी हजार मात्र)

(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त